न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:-48/2018

जी.सी.एम.एस .संख्या:- 2018/00079

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ
2. शाति देवी पत्नी बंशीलाल
3. शक्तिसिंह पुत्र बंशीलाल

सभी जातियान अहीर निवासीयान जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलान्टगण।

बनाम

1. रामलाल
2. गजानन्द
3. भरतलाल

सभी पिसारान स्व0 केसरलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोन्डेन्टगण।

उपस्थित:-

1. श्री भोलाशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांटस्।
2. श्री रघुनन्दनसिंह अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टस्।

-:: निर्णय ::-

दिनांक: 06.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र 20/2017 बउनवान रामलाल वगैरह बनाम बंशीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के [illegible] धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का [illegible] किया कि विवादित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 571 रकबा 0.07 है० भूमि वादीगण की माताजी को आवंटित हुई थी व उनके उपरान्त वादीगण के नाम विरासत में बतौर खातेदार दर्ज की गई थी। इसके लगती हुई वादीगण की अन्य पैतृक भूमि है, खसरा नम्बर 571 में होकर ही प्रार्थीगण अपनी शेष आराजी खसरा नम्बर 569, 572, 574, 575, 576, 511, 518 पर आने जाने का रास्ता है। खसरा नम्बर 571 प्रार्थीगण की मां के नाम आवंटित भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में कब्जे काश्त नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को मूल दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 10.04.2018 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 0.07 है० वाके ग्राम जुवाड तहसील सवाई माधोपुर अपीलांटगण के कब्जे काश्त की आराजी रही है जो हम अपीलांट की दीगर खातेदारी की आराजीयात में मिली हुई है। जिस अपीलांटगण बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर रहे हैं परन्तु गुपचुप तरीके से रेस्पांडेन्ट की मां ने यह आराजी अपने नाम आंवटन करवा अगर ये भूमि रास्ते की थी तो रेस्पोडेंट की माता को आवंटित कैसे हो सकती हैं ? सही स्थिति ये है कि खसरा नंबर 571 में होकर कोई रास्ता है ही नही। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय बिना निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 10.04.2018 अपास्त किया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पांडेंट को जरिये समन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात से रेस्पोडेंट का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है ना ही उनका कब्जा है, बल्कि उक्त आराजी पर तन्हा अपीलांट का कब्जा है एवं अपीलांट पचासों वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे है। महज अपीलांटगण को जेरबार, हैरान व परेशान करने की गरज से रेस्पोडेंट ने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मातहत अदालत में पेश [illegible] प्रमाणित नहीं करता। स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में जो [illegible] अदालत में पेश किया गया था, कब्जा अति महत्वपूर्ण है [illegible] दावा पोषणीय नहीं है। जब दावा ही पोषणीय नहीं है [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा किसी

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भी हालत में चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 10.04.2018 निरस्त किया जावे। अभिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन में दृष्टांत आर.आर.डी. 1998 पेज 90, आर.आर.डी. 1986 पेज 214, डी.एन.जे. (एस.सी.) 2004 पेज 263 व आर.एल.डब्ल्यू. 1998(2) राज. पेज 782 पेश किए।

6. जवाब बहस में अभिवक्ता रेसपोडेंट ने कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 571 रेसपोडेंटगण की पैतृक भूमि है। उक्त खसरा नंबर 571 कोटा लालसोट मेगा हाइवे से लगा हुआ है। इस कारण अपीलांटगण नाजायज लाभ उठाकर विवादित आराजीयात पर काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहते है। रेसपोडेंटगण विवादित आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार है। मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय पूर्णतया सही है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अभिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 चाके ग्राम जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर खसरा नंबर 571 रकबा 0.07 है0 रामलाल, गजानन्द, भरतलाल पिसरान केसरलाल हिस्सा 6/7 तथा केसरलाल पुत्र कानजी हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अभी लम्बित है। अदालत मातहत में लम्बित वाद में भौतिक रूप से कब्जा–किस्म, के संबंध में सबूत व साक्ष्यों के आधार पर निर्णित किया गया जाएगा। जब तक "कब्जा" खातेदार से भिन्न अन्य का साबित न हो जाए प्रथम दृष्टया रिकॉर्डेड खातेदार का ही कब्जा होने की धारणा की जाती है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें विवादित आराजीयात पर "कब्जा" अपीलांट का **"साबित"** हो। इसके अतिरिक्त मौका पर्चा ग्राम जुवाड खसरा नंबर 563, 571 दिनांक 22.02.2018 जो कि संबंधित भू–अभिलेख निरिक्षक की उपस्थिति में तैयार किया गया है, भी खसरा नंबर 571 में प्रथम दृष्टया कब्जा अपीलांट का नहीं पाया गया है, यद्यपि "कब्जा" की वास्तविक स्थिति मूल वाद में ही तय होगी।

इस प्रकार अपीलांट न तो रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही प्रथम दृष्टया "कब्जा" है। जब प्रथम दृष्टया कब्जा नही है तो सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है और न ही अपूरणीय क्षति होगी। अभिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अ[illegible] पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधि[illegible] माधोपुर द्वारा मुकदमा संख्या 20/2017 बउनवान रामलाल [illegible] निर्णय दिनांक 10.04.2018 को यथावत् रखा [illegible]

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

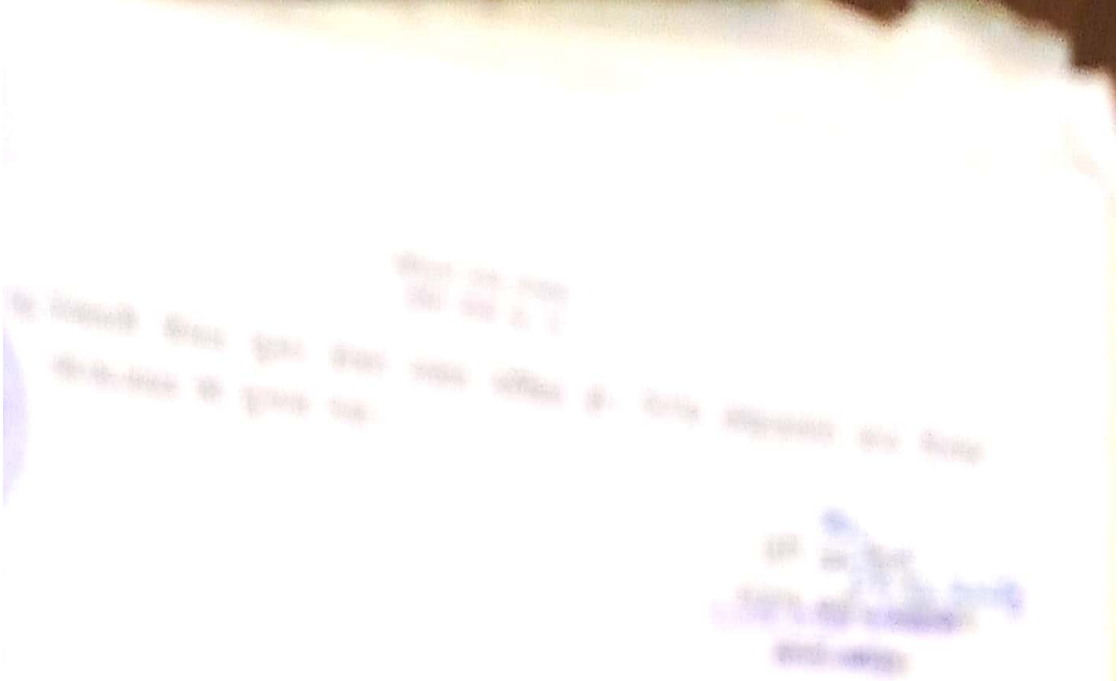

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner